ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) चुवाड़ी, जिला चम्बा क लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 07/2007 से 03/2014

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 के अन्तर्गत प्रदेश की ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों की परिवहन से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधियों का अंकेक्षण, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपने के दृष्टिगत, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चुवाड़ी की परिवहन से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधियों के अवधि 07/2007 से 03/2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री संदीप कमल एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक श्री पंकज भ्रारिया द्वारा दिनाँक 01.10.2014 से 18.10.2014 तक के दौरान चुवाड़ी में किया गया। ई–गवनन्स सोसाईटी चम्बा का गठन सभाएं पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 (हिमाचल प्रदेश संशोधित 1973) के अन्तर्गत दिनाँक 13.06.2005 को पंजीकरण संख्या 3/चम्बा/2005 के अन्तर्गत हुआ एवं इसी पंजीकरण के अन्तर्गत ई–गवर्नेन्स चुवाड़ी (आर0एल0ए0) द्वारा दिनाँक 03.07.2007 से विधिवत कार्य प्रारम्भ हुआ।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	4	राजकीय कोष में राशि का कम जमा करना	1.48
2	6	बिना निविदाएं आमन्त्रित किए सामग्री का क्रय करने एवं सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करना	विवरण पैरे में दिया गया है
3	7	Hardware सामग्री का अनियमित प्रकार से क्रय करना	0.14

अंकेक्षण अवधि के दौरान (आर0एल0ए0) चुवाड़ी में निम्नविवरणानुसार अधिकारियों से आहरण एवं वितरण अधिकारियों के रूप में कार्य कियाः–

क्र0सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	कार्य की अवधि
1	श्री राकेश वर्मा, (एच0ए0एस0)	07/07 से 17.03.08
2	श्री अश्वनी कुमार, (एच0ए0एस0)	18.03.08 से 14.12.09
3	श्री एस0के0 पराशर, (एच0ए0एस0)	15.12.09 से 01.10.11
4	श्री अश्वनी कुमार, (एच0ए0एस0)	10.10.11 से 31.01.13
5	श्री अमित मैहरा, (एच0ए0एस0)	01.02.13 से 31.03.14

उक्त अंकेक्षण के दौरान आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह का चयन इस प्रकार किया गयाः–

वर्ष	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
आय	02/08	01/09	07/09	06/10	02/12	07/12	03/14

व्यय	01/08	11/08	03/10	03/11	08/11	11/12	03/14

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चुवाड़ी द्वारा प्रदान की गई सूचना व अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त सोसाईटी द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना उपलब्ध करवाने अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चुवाड़ी की परिवहन से सम्बन्धित उपयोक्ता प्रभार निधियों के अवधि 07/07 से 03/14 के लेखो के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर कुल ₹8800/– आँका गया। अंकेक्षण शल्क की इस राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 419 दिनाँक 17.10.14 द्वारा अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना करते हुए सोसाईटी द्वारा अंकेक्षण शुल्क की ₹8800/– का बैंक ड्राफ्ट संख्या 880091 दिनाँक 20.10.14 हिमाचल प्रदेश स्टेट को0 बैंक चुवाड़ी की शाखा से बनाकर निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया।

3 वित्तीय स्थितिः–

(आर0एल0ए0) चुवाड़ी द्वारा प्रस्तुत सोसाईटी की अवधि 07/07 से 31.03.14 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** में दिया गया हैः–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2007–08	0	48100	395	48495	12542	35953
2008–09	35953	98480	1914	136347	92833	43514
2009–10	43514	128050	2113	173677	113151	60526
2010–11	60526	110640	2493	173659	125382	48277
2011–12	48277	130500	3692	182469	46147	136322
2012–13	136322	135320	7263	278905	61403	217502
2013–14	217502	182185	7734	407421	270044	137377
दिनाँक 31.03.14 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति का शेष						**₹137377**
दिनाँक 31.03.14 को बैंक में शेष (खाता संख्या 18010108633 हि0प्र0 स्टेट को0 बैंक चुवाड़ी)						**₹137377**

4 राजकीय कोष में ₹148761/– कम जमा करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ0 (1) 3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 के पैरा 3 (ए) के अनुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई कुल वसूलियों का 25% भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। सोसाईटी अंकेक्षणाधीन अवधि 03.07.2007 से 31.03.14 के दौरान सेवा शुल्क के रूप में निम्नविवरणानुसार कुल ₹833275/– की वसूली की गई थी जिसका 25% भाग ₹208319/– राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था लेकिन अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान सोसाईटी द्वारा चालान संख्या 00010 दिनाँक 09.05.13 द्वारा केवल मात्र ₹59558/– ही राजकीय कोष में जमा करवाई गई। इस प्रकार राजकीय कोष में (₹208319–₹59558=₹148761) कम जमा करवाई गई।

वित्तीय वर्ष	सेवा शुल्क से प्राप्त आय	राजकीय कोष में जमा योग्य राशि
2007–08	48100	12025
2008–09	98480	24620
2009–10	128050	32013
2010–11	110640	27660
2011–12	130500	32625
2012–13	135320	33830
2013–14	182185	45546
योग	**₹833275**	**₹208319**

अतः राजकीय कोष में ₹148761/– कम जमा करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं अविलम्ब इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार नियमित रूप में राजकीय कोष में निर्धारित राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

5 अध्यक्ष ई–गवर्नेन्स सोसाईटी को भुगतान की गई ₹429000/– से सम्बन्धित रसीदें/पावतियाँ प्राप्त न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि दिनाँक 31.03.14 तक निम्नविवरणानुसार ₹429000/– का भुगतान निम्न विवरणानुसार अध्यक्ष, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चम्बा को कुल सेवा शुल्क के 50% भाग के रूप में किया गया था परन्तु उक्त भुगतान के सन्दर्भ में रसीद अभिलेख हेतु प्राप्त नहीं की गई जिससे भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित रसीदें प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में प्रत्येक भुगतान से सम्बन्धित रसीदें प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाए।

भुगतान की अवधि	अध्यक्ष, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी को भुगतान की गई राशि	चैक संख्या/दिनाँक
12/08	85000	चैक संख्या 4361284 दिनाँक 31.12.08

11/09	100000	चैक संख्या 4361291 दिनाँक 11.11.09
09/10	90000	चैक संख्या 4361299 दिनाँक 15.09.10
12/13	120000	चैक संख्या 951656 दिनाँक 26.12.13
01/14	34000	चैक संख्या 951658 दिनाँक 17.01.14
योग	**429000**	

6 बिना निविदाएं आमन्त्रित किए सामग्री का क्रय करने एवं सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करने बारेः—

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000/— से अधिक तथा इससे पूर्व ₹1000 से अधिक की खरीद के लिए निविदाएं आमन्त्रित करनी अनिवार्य थी, परन्तु जाँच के दौरान पाया कि सोसाईटी द्वारा निम्नविवरणानुसार सामग्री का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए किया गया था जोकि उपरोक्त वर्णित नियम के विपरीत है। यदि इस सामग्री का क्रय निविदाएं आमन्त्रित करके किया होता तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था। अतः बिना निविदाएं आमन्त्रित किए की गई खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	माह	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	01/08	Bill no. BBIR-351 dated 09.10.2007 bits –n-bytes infotech, Jassur	Repair of printer	3920
2	03/10	Bill No. 669 dated 23.02.10 M/S webcity infotech, Kakira	Repair of printer	4150
3	03/11	Bill no. 37 dated 23.03.11 M/S Purushotaur Electrical work, Vill, Chaloon, Chowari	Electriciry fitting Material	8905
4	09/11	Bill no. 1832 dated 22.09.11 M/S Galaxy office automation Pathankot	Printer Cartridge	3600
5	09/11	Bill No. 434 dated 26.09.11 M/S Ohri Communication chowari	Printer Head wipro 1050 dot Matrix	3600
6	07/12	Bill No. 325 dated 02.07.12 M/S Jai Ram Photostate & Statinary Chowari	Stationary Material	4015
7	07/12	Bill No. 768 dated 28.07.12 deference automation Pathankot	Refill of Cartridge	7000
8	11/12	Bill No. 463 dated 06.11.12 M/S Suryawanshi Photostate & Statinary Chowari	Stationary Material	3460
9	11/12	Bill no. 384 dated 11/12 M/S Jai Ram Photostate & stationary chowari	Stationary Material	3690
10	11/12	Bill No. 1518 dated 26.11.12 M/S Balouria Computer Service, Chowari	Repair of printer etc.	4190
11	03/13	Bill No. 547 dt 20.12.13 M/S Suryavanshi Photostate & Statinary Chowari	Stationary Material	5762
12	06/13	Bill No. 1597 dated 19.06.13 M/S Balouria Computer Service,	Repair of printer	5180

		Chowari		
13	07/13	Bill No. 1010 dt. 16.7.13 M/S Jai Ram Photostate & Statinary Chowari	Stationary Material	4690
14	10/13	Bill no. 1036 dated 08.10.13 M/S Jai Ram Photostate & stationary Chowari	Stationary Material	3530
15	10/13	Bill No. 831 dated 25.10.13 M/S Suryawanshi Photostate & Statinary chowari	Repair of printer	4711
16	12/13	Bill No. 882 dated 18.12.13 M/S Suryawanshi Photostate & stationary chowari	Stationary Material	4612

इसके अतिरिक्त उपरोक्त सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ भी नहीं की गई थी जिसके अभाव में उपरोक्त सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः क्रय की गई समस्त सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में करके इसके उपयोग/खपत बारे में अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7 ₹14623/– की Hardware सामग्री का अनियमित प्रकार से क्रय करने बारेः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चम्बा के Bye Laws की मद संख्या 8.1 के अनुसार "No. item of hardware shall be purchased without the prior approvel of the chief administrator."। जाँच में पाया कि ई–गवर्नेन्स सैन्टर चुवाड़ी द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹14623/– का Hardware का क्रय मुख्य प्रशासक की पूर्व अनुमति के बिना किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए एवं भविष्य में नियमों के अनुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	Bill No. 037 Dated 14.07.11 M/S Computer World Sadwar	L.C.D. HP Compaq note book with Ethernet card & Installation	7875
2	Bill No. 737 dated 21.11.12 M/S Bajaj Informations service, Pathankot	H.P. Ink Advantage printer 2515 A10 with Key board & colour & black Cartridge	6748
		योग	₹14623

इसके अतिरिक्त उपरोक्त सामग्री का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किये किया गया था एवं सामग्रो की प्रविष्टियाँ भी भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी। अतः इस बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाये एवं भण्डार का क्रय नियमों के अनुसार निविदाऐं आमन्त्रित करके करना

सुनिश्चित किया जाए तथा क्रय की सामग्री की नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ करनी सुनिश्चित की जाए।

8 Income & Expenditure Statement एवं Balance Sheet तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा आय–व्यय क लेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करते हुए प्रतिवर्ष Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार की जानी अपेक्षित थी, परन्तु जाँच में पाया कि ई–गवर्नेन्स सैन्टर चुवाड़ी द्वारा Income & Expenditure Statement एवं Balance Sheet तैयार नहीं की गई थी जिसके अभाव में सैन्टर के पास उपलब्ध सम्पत्ति एवं सैन्टर की देनदारियों की सही स्थिति की जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो सकी। अतः अविलम्ब नियमों के अनुसार Income & Expenditure Statement एवं Balance Sheet तैयार करनी सुनिश्चित की जाए जिसे आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

9 Daily Collection Register का निर्माण न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि (आर0एल0ए0) चुवाड़ी द्वारा Daily Collection Register का निर्माण नहीं किया गया था जिसके अभाव में आय की सही प्रकार से जाँच नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त रजिस्टर को यथाशीघ्र तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

10 ₹5000/– की (Recoupment) न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (I) 3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.05 की धारा 3 (बी) के अनुसार सोसाईटी वाहन की मुरम्मत एवं POL इत्यादि पर खर्च करने के लिए अधिकृत नहीं है। जाँच में पाया कि दिनाँक 09.01.2012 को चैक संख्या 6802800 द्वारा ₹10000/– की निकासी (आर0एल0ए0) से POL हेतु की गई थी जिस में से ₹5000/– दिनाँक 13.01.12 को (आर0एल0ए0) के खाते में जमा कर दिये गये लेकिन शेष ₹5000/– अभी भी जमा करनी बकाया है जोकि (आर0एल0ए0) खाते में जमा नहीं करवाई गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये एवं इस राशि की (Recoupment) भी शीघ्र उचित स्त्रोत से करके अपेक्षित राशि (आर0एल0ए0) के खाते में जमा करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 भण्डार रजिस्टर के रख–रखाव के बारेः–

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम के अनुसार स्थाई एवं अस्थाई भण्डार के लिए अलग–2 रजिस्टर तैयार करने अनिवार्य है, परन्तु जाँच में पाया कि ई–गवर्नेन्स सैन्टर चुवाड़ी में सामग्री के इन्द्राज हेतु कोई भी रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में क्रय सामग्री का इन्द्राज भी भण्डार रजिस्टर में नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज के बिना क्रय को गई सामग्री का दुरूपयोग भी किया जा सकता है। अतः नियमों के अनुसार तुरन्त प्रभाव से स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर तैयार किए जायें एवं सम्बन्धित रजिस्टर में अलग–2 प्रकृति की प्रत्येक मद के लिए अलग–2 पृष्ठ आंबटित किए जायें तथा प्रत्येक क्रय की गई प्रत्येक सामग्री को पविष्टियाँ इनमें करनी सुनिश्चित की जायें।

12 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

नियमानुसार भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष किया जाना अनिवार्य है परन्तु जाँच में पाया गया कि (आर0एल0ए0) चुवाड़ी द्वारा भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। अतः वाँछित कार्रवाई अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई से समय–2 पर ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) चुवाड़ी को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) चुवाड़ी से केन्द्रीय ईकाई को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 लघु आपत्ति विवरणीः– लघु आपत्तियों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। अतः यह अलग से जारी नहीं की गई।

15 निष्कर्षः– लेखेां के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii) 20/2014 खण्ड–1–1823–1824 दिनांक,08.04.2015
शिमला–171009

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सेन्टर (आर0एल0ए0) चुवाड़ी, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश चम्बा जिला चम्बा (हि0प्र0)
3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03
4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02
5 श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009